पत्रांक–सं0सं0–02/उ0नि0/क्लस्टर (Pilot Project)–24–01/2017............

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0),**

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ..................

विषयः– **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत मोरातालाब फुटवेयर क्लस्टर, मोरातालाब, रहुई, नालंदा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए ₹130.64 लाख (एक करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 की कंडिका–6(4.6) में निहित प्रावधानों के आलोक में उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेदर फुटवेयर क्लस्टर, मोरातालाब, रहुई, नालंदा को विकसित करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस क्लस्टर का एस0 पी0 भी0 मोरातालाब फुटवेयर औधोगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0 के नाम से बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निबंधित है।

2. सी0एफ0सी0 के विकास हेतु परामर्शी द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित किया गया। एस0पी0भी0 सदस्य द्वारा डी0पी0आर0 की समीक्षा के बाद अपनी सहमति प्रदान की गई।

3. मोरातालाब में लेदर फुटवेयर विनिर्माण क्लस्टर के लिए सी0एफ0सी0 के विकास हेतु ₹130.64 लाख (एक करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार रूपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. प्रस्तावित सी0एफ0सी0 के लिए मदवार अनुमानित व्यय अनुमोदित डी0पी0आर0 में दिया गया है। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान किया जायेगा एवं एक मद में अवशेष राशि का उपयोग दूसरे मद के व्यय में किया जा सकेगा।

5. चर्मोत्पाद प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, मोरातालाब को सी0एफ0सी0 के रूप में विकसित किया जायेगा। विद्युत स्थापना एवं अनुरक्षण सहित भवन के जीर्णोद्धार एवं मरम्मति से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी, नालन्दा के माध्यम से कराया जाएगा। इस निमित्त ₹25,84,000.00 (पच्चीस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी, नालन्दा को विमुक्त की जाएगी।

6. स्वीकृत अवशेष राशि ₹1,04,80,000.00 (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) संबंधित एस0 पी0 भी0 (मोरातालाब फुटवेयर औधोगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0) को सी0 एफ0 सी0 के विकास हेतु तीन समान किस्तो में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक अगली किस्त की विमुक्ति के पूर्व एस0 पी0 भी0 द्वारा पूर्व में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

7. अनुदान की प्रथम किस्त के भुगतान के पूर्व एस0 पी0 भी0 को अपने सभी सदस्यों को एफ0डी0डी0आई0, बिहटा, पटना में पादुका निर्माण मशीन के संचालन का प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

8. एस0 पी0 भी0 द्वारा राशि के उपयोग में विचलन/ दुरूपयोग की स्थिति में उधोग विभाग द्वारा एस0 पी0 भी0 के सभी सदस्यों से समान अनुपात में व्याज सहित राशि वसूल की जायेगी। यदि एस0 पी0 भी0 उपलब्ध कराई गई राशि ब्याज सहित वापस नहीं कर पाती हैं, तो बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम 1914 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

9. महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा सी0 एफ0 सी0 स्थापना पर होने वाले व्यय का लगातार अनुश्रवण करेंगे कि यह अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार की जा रही है। महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा एस0 पी0 भी0 द्वारा उद्योग विभाग को समर्पित किया जाने वाला उपयोगिता प्रमाण-पत्र का सत्यापण भी करेंगे।

10. उधोग विभाग द्वारा विशेषज्ञ/ परामर्शी संस्थान को नियुक्त करेगी जो सी0एफ0सी0 की स्थापना से संबंधित कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि यह अनुमोदित डी0पी0आर के अनुसार हो रहा है।

11. सभी प्रकार के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

12. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना व्यय (विस्तृत) में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य,लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0102 इन्टरप्रोनियोर्स डेवलपमेन्ट येाजना की स्थापना, विपत्र कोड-P2852807890102 राज्य योजना स्कीम कोड 5428, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

13. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

14. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

15. इस राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

16. ₹25,84,000.00 (पच्चीस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी नालन्दा को **डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

17. ₹1,04,80,000.00 (एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) की राशि मोरातालाब फुटवेयर औधोगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0 को तीन समान किस्तों में **डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

18. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

**प्रधान सचिव,**
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-..............
पटना, दिनांक............

**प्रतिलिपिः-** कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-488
पटना, दिनांक 21.02.17

**प्रतिलिपिः-** वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः-** उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ)**/ संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ **महाप्रबंधक,** जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः-** सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मोरातालाब फुटवेयर औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0, मोरातालाब, रहुई, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.02.2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Vishwanath section-2